"85% सीधी भर्ती द्वारा और 15% स्तर-1(18000-56900 रु.) के ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो, और जिनके पास स्तम्भ (7) में विहित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं हों, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"।

[फा. सं. मासंविनि/76257/अग्नि संवर्ग/आरआरएस/सी/पी/01/1940/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या 68, तारीख 28 अक्तूबर, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, भाग-II , खंड-4, तारीख 17 मई, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 35, तारीख 21 अप्रैल, 2017 द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 11th October, 2017

S.R.O. 85.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Group 'C' (Fire Service) posts, Recruitment Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development organization Group 'C' (Fire Service) posts Recruitment Rules, 2011,—

(i) in the Schedule, relating to the post of Fireman,—

in column (10), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"85% by direct recruitment and 15% by Limited Departmental Competitive Examination from Multi Tasking Staff in Level-1(Rs.18000-56900), who have rendered three years regular service and possessing educational and other qualifications prescribed in column (7), failing which by direct recruitment".

[F. No. DHRD/76257/Fire Cadre/RRs/C/P/01/1940/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O. 68, dated the 28th October, 2011 and subsequently amended vide notification number S.R.O. 35, dated the 21st April, 2017 published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, dated the 17th May, 2017.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 86.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ज्येष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और आशुलिपिक ग्रेड-I पद भर्ती नियम, 2015 में, —

(1) नियम 3 में "वेतन बैंड या ग्रेड वेतन या वेतनमान" और "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" रखा जाएगा;

(2) अनुसूची में ;—

(क) ज्येष्ठ निजी सचिव के पद के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में,—

(अ) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात् :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर" ;

(आ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100)" ;

(ii) स्तंभ (11) में,—

(अ) 'प्रोन्नति' उप-शीर्षक के अधीन "वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन + 4600 के वेतनमान" प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" रखी जाएंगी।

(आ) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन उप पैरा (ii) में "वेतन बैंड-2 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ख) निजी सचिव पद के सामने, —

(i) स्तंभ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी; अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)" ;

(ii) स्तंभ (11) के अधीन,—

(अ) उप-शीर्षक 'प्रोन्नति' के अधीन "वेतन बैंड-2 9300-34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. सहित" प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (35400-112400 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(आ) उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन उप पैरा (ii) में "वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ग) आशुलिपिक ग्रेड-I पद के सामने,—

(i) स्तंभ (4) के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)" ;

(ii) स्तंभ (11) के अधीन,—

(अ) उप-शीर्षक प्रोन्नति, के अधीन "वेतन बैंड-1, 5200-20,200 + ग्रेड वेतन 2400" प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500 - 81100 रु.)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(आ) उप-शीर्षक प्रतिनियुक्ति के अधीन, पैरा (क) के उप-पैरा (ii) में, "वेतन बैंड-1 5200-20,200 + ग्रेड वेतन 2400 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)" रखी जाएंगी ;

[सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक/आरआर/सी/पी/01/1865/डी (अनु एवं वि)/17 तारीख 13 अक्तूबर, 2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 37, तारीख 9 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 13th October, 2017

S.R.O. 86.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I, posts, Recruitment Rules, 2015, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Private Secretary, Private Secretary and Stenographer Grade-I post, Recruitment Rules, 2015,-

(1) in rule 3, for the words "Pay Band or Grade Pay or Pay Scale" and "Pay Band, Grade Pay or Pay Scale", the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the schedule,—

(a) against the post of Senior Private Secretary, —

(i) in column (4),—

(A) for the heading , the following heading shall be substituted, namely:—

"Level in the pay matrix" ;

(B) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix" ;

(ii) under column (11), —

(A) in sub-heading Promotion, for the entries "in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600" the entries "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) in sub-heading Deputation, at sub para (ii), for the entries "in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600", the entries "Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) against the post of Private Secretary, —

(i) under column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix" ;

(ii) under column (11), —

(A) in sub-heading Promotion, for the entries "in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200" the entries "Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted ;

(B) in sub-heading Deputation, at sub para (ii), for the entries "in the Pay Band-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200" the entries "Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) against the post of Stenographer Grade-I, —

(i) under column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix" ;

(i) under column (11), -

(A) in sub-heading Promotion, for the entries "in the Pay Band-1, of Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400" the words "Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) in sub-heading Deputation, in para (a), at sub-para (ii), for the entries "in the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400" the entries "Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix" shall be substituted;

[No. DHRD/87661/Stenographer/RRs/C/P/01/1865/D(R&D/17 dated the 13 October, 2017]

HARSHA RANI, Under Secy .

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, part II, Section- 4 vide notification number S.R.O. 37 dated the 9th September, 2016.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर 2017

का.नि.आ. 87.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (वैयक्तिक सहायक) पद, भर्ती नियम, 1998 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' आशुलिपिक श्रेणी –II पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके कारणों को लेखाबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आशुलिपिक ग्रेड - II	50* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो पद के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विज्ञापित की जाए। **टिप्पण 2** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख : 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट तक । अनुलिपिकरण : 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिन्दी) (केवल कम्प्यूटर पर)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	पद के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पद स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं तथा जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं है, प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) — 1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के प्रमुख -अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी -सदस्य 3. संबंधित प्रयोगशाला या स्थापन के सदस्यों के समकक्ष या ऊपर की रैंक का किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापन या मुख्यालय का एक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीएचआरडी/87661/आशुलिपिक ग्रेड-II/आरआर/सी/पी/02/1866/डी(आर एंड डी)/17 तारीख 13 अक्तूबर, 2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2017

S.R.O. 87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C'(Personal Assistants) posts, Recruitment Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-II in the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' Stenographer Grade-II posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix .**—The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade-II.	50* (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix

Whether selection post or Non- selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Not applicable	18-27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Defence Research and Development Organisation for the post. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
(i) 12th class pass from a recongised Board or University; (ii) skill test norms Dictation: 10 minutes @ 80 words per minutes. Transcription: 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (Only on computers).	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	Direct Recruitment through advertisement of Defence Research and Development Organisation for the post. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering).— 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory -Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory -Member 3. An Officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment -Member	Not applicable

[F. No. DHRD/87661/Steno Grade-II/RRs/C/P/02/1866/D(R&D/17 dated 13 October, 2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.15 11:46:23 +05'30'